निर्यात संबंधी अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों हेतु राज्यों को सहायता से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत

I. प्रस्तावना

1.1 अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और संरचनात्मक सुधारों के परिणामस्वरूप निर्यातों को आर्थिक संवृद्धि का साधन माना जा रहा है । तथापि समुचित और पर्याप्त अवसंरचना के अभाव में निर्यातों में सतत वृद्धि संभव नहीं है क्योंकि निर्बाध उत्पादन को सुकर बनाने, उत्पादन लागत में कटौती करने और हमारे निर्यातों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय अवसंरचना अनिवार्य होती है ।

1.2 यद्यपि निर्यातों के संवर्धन और विशिष्टीकृत आवश्यक अवसंरचना के सृजन की जिम्मेदारी को अब तक अधिकांशतः केन्द्र सरकार द्वारा निभाया गया है तथापि यह अधिक से अधिक महसूस किया जाता है कि राज्यों को इस प्रयास में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी । निर्यात योग्य अधिशेष का उत्पादन बढ़ाने, भूमि, बिजली, जल, सड़क-संपर्क, प्रदूषण नियंत्रण उपायों और वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु अनुकूल विनियामक वातावरण जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है । अतः यह महसूस किया जाता है कि निर्यातों के संवर्धन हेतु अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्र सरकार द्वारा समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ।

1.3 वाणिज्य विभाग इस समय अपने अभिकरणों के जरिए निर्यात की वस्तुओं के संवर्धन और सुविधा हेतु स्कीमें कार्यान्वित करता है और उसके लिए जरूरी अवसंरचना का सृजन करता है । निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्कीम (ई पी आई पी), निर्यात संवर्धन जोन स्कीम (ई पी जेड) और महत्वपूर्ण अवसंरचना संतुलन स्कीम (सी आई बी) को भी विशिष्ट स्थानों पर निर्यातों हेतु अवसंरचना के सृजन में मदद करने और विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है । तथापि निर्यातों हेतु अवसंरचना में सुधार की सामान्य जरूरतें ऐसी स्कीमों से पूरी नहीं होती हैं । अतः संसाधनों के उपयोग को ईष्टतम बनाने और केन्द्र सरकार एवं राज्यों के समन्वित प्रयास के जरिए निर्यात वृद्धि के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से यह स्कीम तैयार की गई है । स्कीम की विशेषताएं और स्कीम के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं ।

2. उद्देश्य

2.1 इस स्कीम का उद्देश्य निर्यातों के विकास और वृद्धि के लिए समुचित अवसंरचना के सृजन हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करके निर्यात प्रयास में राज्यों को शामिल करना है ।

2.2 राज्य से निर्यातों में वृद्धि से होने वाले प्रत्यक्ष लाभों को राज्य नहीं समझते हैं । इसके अलावा, राज्यों के पास प्रायः निर्यात हेतु अवसंरचना के वित्त पोषण में भागीदारी हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं होते हैं । इसलिए प्रस्तावित स्कीम का उद्देश्य निर्यात निष्पादन से जुड़ी सहायता के जरिए ऐसे प्रयासों में राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करना है ।

3. स्कीम

3.1 यह स्कीम निर्यात अवसंरचना के विकास के लिए परिव्यय प्रदान करेगी जिसे पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार राज्यों को वितरित किया जाएगा । मौजूदा ई पी आई पी, ई पी जेड और सी आई बी स्कीमों का नई स्कीम के साथ विलय किया जाएगा । पूर्वोत्तर और सिक्किम हेतु निर्यात विकास निधि स्कीम (2000-2001 से कार्यान्वित) का भी नई स्कीम में विलय किया जाएगा । नई स्कीम में ई पी आई पी, ई पी जेड, सी आई बी और एन ई आर एवं सिक्किम हेतु ई डी एफ संबंधी स्कीमों के विलय के बाद इन स्कीमों के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का वित्त पोषण राज्यों द्वारा नई स्कीम के अंतर्गत प्रदत्त संसाधनों से किया जाएगा ।

4. स्कीम के लिए अनुमोदित प्रयोजन

4.1 निर्यात के लिए अवसंरचना के विकास पर लक्षित कार्यकलापों का इस स्कीम से वित्त पोषण किया जा सकता है बशर्ते ऐसे कार्यकलाप अत्यधिक निर्यात मात्रा वाले हो और निर्यात के साथ उनका संबंध पूर्णतः सिद्ध होता हो । वे विशिष्ट कार्यकलाप जिनके लिए स्कीम के अंतर्गत आबंटित निधियों की मंजूरी एवं उपयोग किया जा सकता है, निम्नानुसार हैः

i. नये निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों/जोनों (विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड)/कृषि व्यापार जोनों सहित) का सृजन और मौजूदा पार्कों/जोनों में सुविधाएं बढ़ाना

ii. निर्यात क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक और अन्य संबंधित अवसंरचना की स्थापना करना

iii. एस ई जेडों की स्थापना सहित अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी

iv. ई पी आई पी/ई पी जेड/एस ई जेड के पूंजीगत परिव्यय की जरूरतों को पूरा करना

v. पूरक अवसंरचना जैसे उत्पादन केन्द्रों के साथ पत्तनों को जोड़ने वाली सड़कों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो और कंटेनर फ्रेट स्टेशनों की स्थापना का विकास करना

vi. अतिरिक्त ट्रांसफर्मरों के जरिए नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना और निर्यात उत्पादन केन्द्रों आदि के लिए अलग व्यवस्था करना

vii. निर्यात प्रयोजनों में मदद के लिए किसी विशिष्ट विनिर्देशन के सूक्ष्म पत्तनों और जेट्टीज का विकास करना

viii. सांझी निस्सारण उपचार सुविधाओं हेतु सहायता जिनके लिए दिशानिर्देश अनुबंध । में दिए गए हैं

ix. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय महत्व की परियोजनाएं

x. पूर्वोत्तर और सिक्किम से संबंधित ई डी एफ के अनुसार अनुमत कार्यकलाप

5. निधियों का आबंटन

5.1 स्कीम के परिव्यय के दो संघटक होंगे । निधियों का 80 प्रतिशत (राज्य संघटक) पैरा 6 में यथा इंगित अनुमोदित मापदंडों के आधार पर राज्यों को आबंटन हेतु चिन्हित किया जाएगा जिसका उपयोग अनुमोदित प्रयोजन (पैरा 4) हेतु किया जाना है । शेष 20 प्रतिशत (केन्द्रीय संघटक) और पूर्ववर्ती वर्ष (वर्षों) में राज्यों को आबंटित निधियों के अप्रयुक्त हिस्से, यदि कोई हो, के समतुल्य राशि अंतर राज्यीय परियोजनाओं, ई पी जेड के पूंजीगत परिव्यय को पूरा करने, ई डी एफ के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एन ई आर से निर्यातों के संवर्धन से संबंधित कार्यकलापों और क्षेत्रीय या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य कार्यकलाप हेतु केन्द्रीय स्तर पर रखी जाएगी ।

6. राज्यवार आबंटन हेतु मापदंड

6.1 राज्यों को राज्य संघटक 50-50 प्रतिशत के दो हिस्सों में आबंटित किया जाएगा । राज्यों को 50 प्रतिशत के पहले हिस्से का परस्पर आबंटन उनके निर्यात निष्पादन के आधार पर किया जाएगा । इसकी गणना कुल निर्यातों में राज्यों के हिस्से के आधार पर की जाएगी । 50 प्रतिशत के दूसरे हिस्से का आबंटन पिछले वर्ष की तुलना में निर्यातों की औसत वृद्धि दर में राज्यों के हिस्से के आधार पर किया जाएगा । यह आबंटन केवल वस्तुओं के निर्यात के आंकड़ों के आधार पर किए जाएंगे और सेवाओं के निर्यात पर विचार नहीं किया जाएगा ।

6.2 चूँकि वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्यों से निर्यातों के पूर्ण एवं विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध होने की संभावना नहीं है इसलिए राज्य सरकारों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर राज्यवार आबंटन किए जाएंगे ।

6.3 स्कीम परिव्यय का न्यूनतम 10 प्रतिशत एन ई आर और सिक्किम में व्यय हेतु आरक्षित रखा जाएगा । एन ई आर और सिक्किम के लिए निर्यात विकास निधि इस चिन्हित परिव्यय से बनाई जाएगी और शेष राशि यथाउल्लिखित निर्यात निष्पादन मापदंडों के आधार पर राज्यों के बीच परस्पर वितरित की जाएगी । पूर्वोत्तर राज्यों के बीच भी उपर्युक्त पैरा 6.1 में उल्लिखित मापदंड के आधार पर आबंटन किया जाएगा ।

6.4 राज्य का निर्यात निष्पादन और निर्यातों में वृद्धि का आकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशक (डी जी सी आई एण्ड एस) के कार्यालय से उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाएगा । डी जी सी आई एस का कार्यालय निर्यातक द्वारा प्रस्तुत नौवहन बिलों से निर्यातों के राज्यवार आंकड़े संकलित करेगा । नौवहन बिल में ऐसा एक कॉलम है जिसमें निर्यातक उस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम लिखेगा जहाँ निर्यात की वस्तुओं का उद्गम हुआ है । एफ टी (डी एण्ड आर) अधि. के अंतर्गत दिनांक 15.6.2001 से इस कॉलम को भरना अनिवार्य हो गया है । प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश

की सरकार नौवहन बिलों में उचित प्रविष्टियाँ करने के लिए निर्यातकों का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए उनके साथ समय-समय पर बातचीत करेगी ताकि निर्यातित वस्तुओं के उद्गम के राज्य की प्रविष्टि ठीक ढंग से की जाए । निर्यातकों के बीच इस सूचना का प्रसार करने के लिए राज्य व्यापार एवं उद्योग एसोसिएशनों के सहयोग से क्षेत्रीय स्तर पर समुचित तंत्र की स्थापना कर सकते हैं ।

7. निधियाँ जारी करना

7.1 राज्यों को निधियाँ जारी करना निर्धारित मापदंडों के आधार पर तैयार हकदारी की सीमा के अधीन होगा । राज्य सरकार द्वारा नामित नोडल अभिकरण से पूर्व-प्राप्ति बिल की प्राप्ति पर उसे सीधे निधियाँ संवितरित की जाएगी । बिल का प्रारूप अनुबंध-III में दिया गया है । निधियों को एजेंसियों के खातों में पृथक शीर्ष में रखा जाएगा । आबंटित निधियों में से अप्रयुक्त निधियों, यदि कोई हो, की गणना अगले वर्ष के लिए आबंटनों के तहत की जाएगी और अगले वर्ष के आबंटनों से समतुल्य राशियों हेतु उपयुक्त कटौती की जा सकती है ।

7.2 आबंटन का 50 प्रतिशत वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जारी किया जाएगा । निधियों के उपयोग और स्कीम के दिशा-निर्देशों के राज्य द्वारा पालन के आधार पर शेष राशि तीसरी तिमाही में जारी की जाएगी । राज्यों को वर्ष की शुरूआत में संपूर्ण राशि का उपयोग करने के लिए परियोजनाएं शुरू करने की सलाह दी जाएगी । उनसे ऐसी परियोनाओं को अग्रिम रूप से अभिज्ञात करने के लिए भी कहा जाएगा ।

8. परियोजनाओं का अनुमोदन एवं कार्यान्वयन

8.1 राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (एस एल ई पी सी) होगी और जिसमें राज्य स्तर पर संबंधित विभागों के सचिव और वाणिज्य विभाग (डी ओ सी) के स्टेट्स सैल का एक प्रतिनिधि और उस राज्य/क्षेत्र में तैनात विदेश व्यापार संयुक्त महानिदेशक तथा राज्य में स्थित एस ई जेड/ई पी जेड के विकास आयुक्त अनुबंध-IV के अनुसार सदस्यों के रूप में शामिल होंगे । एस एल ई पी सी विशिष्ट परियोजनाओं की जाँच और अनुमोदन करेगी और स्कीम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेगी ।

8.2 प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश अपने एक अधिकारी को निर्यात आयुक्त के रूप में नियुक्त/पदनामित करेगा जो एस एल ई पी सी का संयोजक होगा और जिसके साथ वाणिज्य विभाग ए एस आई डी ई से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेगा । वह व्यापार एवं उद्योग, निर्यात संवर्धन परिषदों और वाणिज्य विभाग के परामर्श से उस राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए पंचवर्षीय और वार्षिक निर्यात योजनाएं तैयार करेगा । वह, एस एल ई पी सी के अनुमोदन हेतु स्थान विशिष्ट परियोजनाओं, जिनका इस स्कीम के अंतर्गत शुरू किया जाना प्रस्तावित है, के लिए एक वर्ग तैयार करेगा । वह राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की ओर से निर्यातकों के साथ बातचीत के एकल बिन्दु इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा ।

8.3 एस एल ई पी सी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्ताव स्थान-विशिष्ट होने चाहिए और स्थान का चयन तथा उनका परस्पर वरीयता क्रम निर्धारण एस एल ई पी सी द्वारा किया जाएगा । इसके लिए अगले 2 - 3 वर्षों के दौरान एस एल ई पी सी निर्यात अवसंरचना के विकास पर केन्द्रित केन्द्रों की एक सूची तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष इस स्कीम का पूरा फायदा उठाने के लिए परियोजनाओं का एक शेल्फ अग्रिम रूप से रखा जाएगा । केन्द्रों की सूची निर्यात संवर्धन परिषदों (ई सी सी) और अन्य निर्यात संवर्धन निकायों के विचार-विमर्श से तैयार की जा सकती है । एस एल ई पी सी द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन होने पर नोडल एजेंसी द्वारा परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी को निधियाँ संवितरित की जाएंगी । जहाँ तक संभव हो, राज्य सरकार की अन्य स्कीमों और परियोजनाओं के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा निधियों का लाभ उठा सकते हैं । अनुबंध- V में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है ।

8.4 नई परियोजनाओं की मंजूरी देने से पहले, एस एल ई पी सी चल रही परियोजनाओं के संभावित व्यय हेतु निधियों का आबंटन करेगा । एस एल ई पी सी यह सुनिश्चित करेगी कि आपवादिक मामलों को छोड़कर किसी भी नई परियोजना की परिपक्वता अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

8.5 केन्द्रीय संघटक के अंतर्गत परिव्यय के लिए वाणिज्य विभाग में पैरा 9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने और उन्हें संस्वीकृति प्रदान करने के लिए वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति होगी जिसमें योजना आयोग एवं संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे । यदि किसी परियोजना का संबंध विदेशी क्षेत्र से है तो अधिकार प्राप्त समिति की बैठक के लिए विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाएगा ।

8.6 20 प्रतिशत केन्द्रीय संघटक भारत सरकार की वित्तीय नियमावली के अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा । राज्य सरकार की कारबार नियमावली के अनुसार 80 प्रतिशत राज्य संघटक राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

8.7 स्कीम के अंतर्गत किए गए भुगतानों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत सरकार द्वारा उचित समझे गए अन्य साधनों द्वारा भी लेखा परीक्षा की जाएगी । भारत सरकार स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन और उचित समझी गई अन्य जांच पड़ताल करवाएगी ।

8.8 प्रत्येक परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी यह देखेगी कि अवसंरचना के प्रयोक्ता, जहां कहीं व्यवहार्य हो, इसके लिए सेवा प्रभार का भुगतान करेंगे जिससे इस प्रकार सृजित अवसंरचना के प्रचालन एवं अनुरक्षण पर आने वाले खर्च की पूर्ति हो सकेगी ।

9. परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु मानदंड

9.1 प्रस्तावों में निर्यातों के साथ एक प्रत्यक्ष संबंध अवश्य प्रदर्शित होना चाहिए । प्रस्तावित निवेशों में समान क्षेत्र में किसी मौजूदा संगठन के प्रयासों की नकल भी नहीं होनी चाहिए । यदि किसी गैर-सरकारी

एजेंसी को सहायता प्रदान की जा रही है तो परियोजना हेतु वित्त पोषण सामान्यतः लागत बंटवारे आधार पर होना चाहिए । तथापि, एस एल ई पी सी/अधिकार प्राप्त समिति गुणदोषों के आधार पर परियोजना के पूर्ण वित्त पोषण पर विचार कर सकती है ।

10. पात्र एजेंसियां

10.1 स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं हेतु निम्नलिखित को निधियां संस्वीकृत की जा सकती हैं :-

i. केन्द्र/राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

ii. केन्द्र/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियां

iii. निर्यात संवर्धन परिषदें/वस्तु बोर्ड

iv. भारत सरकार की एग्जिम नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शीर्षस्थ व्यापार निकाय और पैरा 8 के अंतर्गत गठित अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त अन्य शीर्षस्थ निकाय

v. निर्यातों हेतु समर्पित निजी उत्पादन/सेवा इकाईयाँ

11. प्रशासनिक व्यय

11.1 स्कीम के कार्यान्वयन से जुड़े सभी प्रशासनिक खर्च संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने बजट से पूरे किए जाएंगे और ऐसे खर्च को पूरा करने के लिए स्कीम की निधियों के किसी भी अंश का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

12. परियोजना प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण/संवीक्षा

12.1 परियोजना प्रस्ताव सम्पूर्ण एवं सारगर्भित होने चाहिए । परियोजनाओं से संबंधित सभी पहलुओं के समर्थन में आंकड़े, सर्वेक्षण और भावी अनुमान आदि दिए जाने चाहिए ।

12.2 परियोजना प्रस्ताव के साथ एक निष्पादन सारांश लगा होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएः-

i. प्रस्तावकर्त्ता संगठन का नाम एवं पूरा पता

ii. कार्यान्वयन संगठन का नाम एवं पूरा पता

iii. कार्यान्वयन एजेंसी की स्थिति (क्या सरकारी एजेंसी, या व्यापार निकाय अथवा निजी निर्यातक आदि है)

iv. परियोजना की कुल लागत

v. वित्त पोषण की पद्धति

vi. क्या स्रोत (स्रोतों) से वित्त लिया गया है

vii. क्या परियोजना के लिए भूमि यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध है

viii. परियोजना के चरण एवं पूर्ण होने की तारीख

ix. कार्यक्षेत्र (अपेक्षित सुविधाओं का स्वरूप)

x. परियोजना से होने वाले मुख्य लाभ

12.3 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में ऊपर उल्लिखित प्रत्येक मानदंड संबंधी ब्यौरा शामिल किया जाना चाहिए । रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ संवृद्धि एवं निर्यातों हेतु लागत लाभ संबंधी विस्तृत विश्लेषण, परियोजना के प्रत्येक संघटक की लागत का ब्यौरा, परियोजनाओं से गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों रूपों में होने वाले लाभ शामिल होने चाहिए ।

13. निगरानी एवं प्रक्रिया

13.1 प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र/केन्द्रीय एजेंसी वाणिज्य विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अनुबंध-VI पर दिए गए निर्धारित प्रपत्र में एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । जारी की गई निधियों के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए तथा मंत्रालय द्वारा और निधियां जारी करने के आधार के रूप में भी इस रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा । निधियों का वार्षिक उपयोग फॉर्म जी एफ आर 19 - क (अनुबंध VII) में डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए वेबसाइट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा ।

13.2 अधिकार प्राप्त समिति स्कीम की प्रगति की आवधिक समीक्षा करेगी और स्कीम के उद्देश्यों की उपलब्धियों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी ।

13.3 परियोजना की समीक्षा/निरीक्षण के लिए और यह देखने लिए कि किसी वित्तीय वर्ष में स्कीम के अंतर्गत निधियां खर्च की गई हैं, केन्द्र सरकार द्वारा एक नोडल अधिकारी/एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी । इसके लिए दिशानिर्देश अनुबंध VIII में दिए गए हैं ।

14. मूल्यांकन

14.1 तीन वर्ष की समाप्ति पर स्कीम का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा सकता है । यह आशा की जा सकती है कि स्कीम के कार्यान्वयन के बाद निर्यातों हेतु उन्नत अवसंरचना के संचयी प्रभाव और रोजगार एवं समग्र समृद्धि पर उनकी अर्थव्यवस्था में बढ़े हुए निर्यातों के प्रभाव से राज्यों को लाभ होगा । यह मूल्यांकन स्कीम में मध्यावधि संशोधन, यदि कोई हो, के करने का भी आधार होगा ।

अनुबंध-I

सामान्य निस्सारी उपचार सुविधाओं हेतु दिशानिर्देश

i. इस स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय निस्सारी उपचार संयंत्र के निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत तक सहायता के रूप में दिया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार/संगठन अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा दिया जाएगा ।

ii. सी ई टी पी से छोड़ा गया निस्सारण राज्य प्रदूषण बोर्ड के मानकों के अनुसार होना चाहिए जैसा कि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए हों और इसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति होनी चाहिए ।

iii. सी ई टी पी के निर्माण से संबंधित तकनीकी मापदंड राज्य सरकार और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार होने चाहिए ।

अनुबंध II

दिशा निर्देश

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्यात विकास निधि

प्रधानमंत्री द्वारा शिलांग में 21-22 जनवरी, 2000 को पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों के विकास हेतु उपायों के संबंध में की गई घोषणाओं के पश्चात इस क्षेत्र से निर्यातों के विकास हेतु संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) की स्थापना की गई है । स्कीम की विशेषताएं तथा स्कीम के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार दिए गए हैं :

1. निधि

1. निधि की स्थापना 5 करोड़ रू. की प्रारंभिक संग्रह निधि से की जाएगी ।
2. ईडीएफ में आगे और अंशदान सरकार द्वारा यथा चिह्नित किन्हीं अन्य बजटीय तथा गैर-बजटीय स्रोतों से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाए ।
3. इसका प्रबंध वाणिज्य विभाग के अनुदेशों के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा किया जाएगा ।

2. उद्देश्य

2.1 निधि का उद्देश्य सिक्किम सहित देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों के संवर्धन के लिए विशिष्ट कार्यकलापों हेतु सहायता देना है । वे सभी कार्यकलाप जिनका क्षेत्र से निर्यात से संबंध है और जिन्हें निर्यातों में सहायता देने के लिए अभिकल्पित किया गया है, निधि से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे ।

3. विस्तार

3.1 निम्नलिखित कार्यकलाप निधि से सहायता पाने के लिए पात्र होंगे : -

i. निर्यातों पर लक्षित अग्रणी/पायलट परियोजनाओं की स्थापना
ii. निर्यातों पर लक्षित अग्रणी/पायलट परियोजनाओं हेतु उपस्कर एवं मशीनरी का प्रावधान
iii. निर्यातों को सुविधाजनक बनाने के लिए सामान्य सुविधाओं का सृजन
iv. निर्यात उत्पादों के परीक्षण और मानकीकरण तथा साथ ही साथ गुणवत्ता सुधार हेतु सुविधाएं
v. व्यापार शिष्टमण्डलों के आदान-प्रदान से संबोधित वित्तपोषण
vi. पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्यातों के संवर्धन पर प्रभाव डालने वाले कोई अन्य कार्यकलाप जिन्हें वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया हो

4. पात्र अभिकरण

4.1 स्कीम के अंतर्गत निम्नांकित को निधि प्रदान की जा सकती है : -

(i) केन्द्रीय/राज्य सरकार
(ii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
(iii) केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य अभिकरण
(iv) निर्यात संवर्धन परिषदें/वस्तु बोर्ड
(v) भारत सरकार की एक्जिम नीति के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शीर्षस्थ व्यापार निकाय तथा पैरा 6 के अंतर्गत गठित अधिकार समिति द्वारा इस उद्देश्य के लिए मान्यता प्राप्त अन्य शीर्षस्थ निकाय
(vi) निर्यातों से आबद्ध वैयक्तिक उत्पादन/सेवा इकाइयां

5. संस्वीकृति के लिए मानदण्ड

5.1 प्रस्ताव में क्षेत्र से निर्यातों के साथ सीधा सम्बन्ध प्रदर्शित होना चाहिए तथा इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र से निर्यातों को सहायता प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किया जाना चाहिए ।

5.2 प्रस्तावित निवेश को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसे केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अभिकरण, यदि ऐसे अभिकरण आवेदक हैं की वार्षिक योजना से वित्तपोषित किया जा सकता हो । प्रस्तावित निवेश से इसी क्षेत्र में किसी मौजूदा संगठन के प्रयासों की नकल नहीं होनी चाहिए ।

5.3 परियोजना के लिए वित्तपोषण लागत-हिस्सेदारी आधार पर होगा । तथापि, अधिकार प्राप्त समिति गुण-दोष के आधार पर परियोजना के पूर्ण वित्तपोषण पर विचार कर सकती है ।

6. संवीक्षा एवं संस्वीकृति

6.1 एक अधिकार प्राप्त समिति होगी जो प्रस्तावों पर विचार करेगी और उनका अनुमोदन करेगी । यह समिति संस्वीकृत प्रस्तावों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी ।

6.2 अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग के अपर सचिव (राज्य प्रकोष्ठ) द्वारा की जाएगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे : -

(i) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि
(ii) सलाहकार (पीए एंड एमडी) योजना आयोग अथवा उनका प्रतिनिधि

(iii) संयुक्त सचिव (पूर्वोत्तर), गृह मंत्रालय, भारत सरकार
(iv) संयुक्त सचिव, राज्य प्रकोष्ठ, वाणिज्य विभाग
(v) पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) का प्रतिनिधि
(vi) निदेशक/उप सचिव, राज्य प्रकोष्ठ- समिति का सदस्य सचिव

अधिकार प्राप्ति समिति की बैठकें तिमाही रूप से नई दिल्ली में अथवा जहाँ तक व्यवहार्य हो, पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य की राजधानी में आयोजित की जाएंगी ।

6.3 प्रस्तावों की पेशकश करने वाले/प्रायोजित करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में आमंत्रित किए जाएंगे ।

6.4 अनुमोदित परियोजनाओं/कार्यों के लिए निधियों की संस्वीकृति हेतु अनुमोदन मानक प्रक्रिया के अनुसार वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्थाई वित्त समिति से प्राप्त किए जाएंगे ।

6.5 राज्य प्रकोष्ठ, वाणिज्य विभाग समिति से संबंधित कार्यों का समन्वय करेगा और संस्वीकृत निधियों को जारी करने के लिए एपीडा के साथ सम्पर्क स्थापित करेगा ।

6.6 स्कीम के अंतर्गत किए गए भुगतान भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा तथा साथ ही भारत सरकार द्वारा उचित समझे गए अन्य साधनों के अध्यधीन होंगे ।

6.7 भारत सरकार, स्कीम के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन तथा अन्य ऐसी जांच जो उचित हो कराएगी ।

7. परियोजनाओं/प्रस्तावों को प्रस्तुत करना

7.1 परियोजना प्रस्ताव की बारह प्रतियाँ निदेशक, राज्य प्रकोष्ठ, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 को प्रस्तुत की जाएं ।

7.2 प्रस्ताव सर्वांगपूर्ण होना चाहिए । परियोजना से संबंधित सभी पहलुओं को आंकड़ों, सर्वेक्षण आदि द्वारा पुष्ट किया जाना चाहिए ।

7.3 प्रस्ताव के साथ निरपवाद रूप से एक निष्पादन सारांश होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित तथ्य समाहित होने चाहिए : -

(i) प्रस्ताव करने वाले संगठन का नाम तथा पूरा पता
(ii) कार्यान्वयन करने वाले संगठन का नाम तथा पूरा पता
(iii) कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण का दर्जा
(क्या सरकारी अभिकरण अथवा व्यापार निकाय अथवा स्वतंत्र निर्यातक आदि है)

(iv) परियोजना की कुल लागत

(v) वित्तपोषण का तरीका

(vi) क्या ईडीएफ-एनईआर से इतर स्रोत (स्रोतों) से वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है

(vii) क्या परियोजना के लिए भूमि, यदि अपेक्षित हो, उपलब्ध है

(viii) चरणबद्ध रीति से समाप्त होने वाली परियोजना और समाप्ति की तारीख

(ix) कार्य की संभावनाएँ (अपेक्षित सुविधाओं का प्रकार)

(x) परियोजना से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ

7.4 ऊपर इंगित किए गए प्रत्येक मापदण्ड से जुड़े ब्यौरे, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल किए जाने चाहिए । रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत लागत-लाभ विश्लेषण, परियोजना के प्रत्येक संघटक की लागत के ब्यौरे, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों रूप में परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ, प्रस्तावकर्ता के वर्तमान कार्यकलाप भी शामिल होना चाहिए ।

7.5 स्कीम के अंतर्गत केवल ऐसे प्रस्तावों जो सभी प्रकार से संपूर्ण हैं, पर विचार किया जाएगा ।

अनुबंध- III

जी ए आर 34
(नियम 147,150 तथा 159 (I) देखें)
सहायता अनुदान बिल

बिल सं. _____
लेखा शीर्ष _____

वाणिज्य विभाग द्वारा उसके दिनांक _____ के पत्र सं. _____ (प्रति संलग्न) में संस्वीकृत _____ अवधि के लिए सहायता अनुदान के रूप में रू. _____ (रूपये _____ _____) की राशि प्राप्त की ।

दिनांकः _____

हस्ताक्षर
पदनाम

_____ रू. के लिए प्रतिहस्ताक्षरित

दिनांक _____

हस्ताक्षर
आहरण अधिकारी का पदनाम

वेतन एवं लेखा कार्यालय के उपयोग हेतु
रू. ..... (रूपये.....) के लिए पारित

द्वारा भुगतान _____

दिनांक
वेतन एवं लेखा अधिकारी

चेक सं. _____

पत्र शीर्ष
संबंधित व्यक्ति के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि (नोडल अभिकरण का नाम) किसी भी प्रकार की भ्रष्ट प्रक्रिया में लिप्त नहीं है ।

(नोडल अभिकरण का प्रमुख)

हस्ताक्षर

अनुबंध -IV

क्र.सं.	विकास आयुक्त	राज्य /संघशासित क्षेत्र
1.	विकास आयुक्त, कोचीन	केरल,कर्नाटक,लक्षद्वीप,माहे
2.	विकास आयुक्त,फाल्टा	पश्चिम बंगाल,उड़ीसा,बिहार,झारखंड,असम,त्रिपुरा मणिपुर,मेघालय,नागालैंड,मिजोरम,सिक्किम
3.	विकास आयुक्त,नोएडा	दिल्ली,उत्तर प्रदेश,उत्तरांचल,पंजाब,हरियाणा,हिमाचल प्रदेश,जम्मू तथा कश्मीर,राजस्थान,मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़,चंडीगढ़
4.	विकास आयुक्त,विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश , यनम
5.	विकास आयुक्त कांडला	गुजरात
6.	विकास आयुक्त,चेन्नई	तमिलनाडु,अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह,पांडिचेरी
7.	विकास आयुक्त,सीप्ज	महाराष्ट्र,गोवा,दमन तथा दीव,दादरा तथा नगर हवेली

अनुबंध - v

ए एस आई डी ई के अंतर्गत शुरू की जाने वाली परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता

क. ए एस आई डी ई के अंतर्गत निधियों का लाभ उठाने के लिए,इन निधियों का उपयोग अवसंरचना परियोजनाओं के विकास , प्रचालन तथा रख-रखाव में सहभागिता हेतु निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने के लिए किया जा सकता है । इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार आई डी एफ सी अथवा आई एल एफ एस का चयन परियोजना विकास अभिकरण या भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी के रूप में कर सकती है ।

ख. चयनित अभिकरण राज्य सरकार के नोडल अभिकरण/कार्यान्वयन अभिकरण के साथ कार्य करेगा और निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु आमंत्रण प्रस्तावों के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करेगा ।

ग. ए एस आई डी ई के अंतर्गत निधियाँ परियोजना विकास सम्बन्धी लागत के लिए भी उपयोग में लाई जा सकतीं है । चूंकि ऐसी लागतें परियोजना की अंतिम लागत में शामिल की जाती हैं अतः इस राशि को परियोजना के अग्रिम के रूप माना जाएगा और अंतिम रूप से किए जाने वाले भुगतानों में समायोजित किया जाएगा । यदि चयन प्रक्रिया के अंत में यह पाया जाता है कि परियोजना को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है, तो परियोजना विकास पर व्यय की गई धनराशि को परियोजना की सहायता स्वरूप माना जाएगा ।

घ. निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए परियोजनाओं में पूंजी अनुदान के अग्रवर्ती भुगतान के माध्यम से अथवा वार्षिक भुगतान उपलब्ध कराने के लिए अथवा किसी अन्य पद्धति से किया जा सकता था जो राज्य सरकार द्वारा सहमत हो । तथापि ए एस आई डी ई के अंतर्गत कोई भी प्रतिबद्धता 10वीं योजना के तहत संभावित आवंटन के मद्देनजर ही की जानी चाहिए ।

ड. परियोजना प्रचालक कोई निजी अभिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र अभिकरण अथवा सरकारी विभाग हो सकता है लेकिन ऐसा अभिकरण प्रतिस्पर्धात्मक बोली के पारदर्शी तंत्र द्वारा चयनित होना चाहिए ।

च. वर्तमान में परियोजनाओं को ए एस आई डी ई से 100% सहायता दी जानी है और इसके अतिरिक्त , परियोजना के प्रचालन तथा रख-रखाव का उत्तरदायित्व भी सरकार द्वारा उठाया जा रहा है । यदि पूंजीगत कार्यों के लिए 100% सहायता के साथ भी परियोजनाओं के निर्माण ,प्रचालन तथा प्रबंधन हेतु संगठनों को अभिज्ञात किया जाता है तो इसका अर्थ होगा कि प्रयोक्ता प्रभारों के जरिए प्रचालन और रख -रखाव का निजीकरण । अभी यह उचित होगा कि ए एस आई डी ई के तहत ऐसी परियोजनाओं को पूँजी लागत के प्रतिशत के रूप में दी जाने वाली सहायता के लिए कोई सीमा निर्धारित न की जाए । तथापि राज्यों में ऐसी परियोजनाओं के अनुभवों के बाद इसकी समीक्षा की जाए ।

छ. निजी क्षेत्र सहभागिता को तत्काल आधार पर अपनाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि इन परियोजनाओं के लिए ऐसे व्यय परियोजना विकास व्यय के अतिरिक्त अगले वर्ष अतिरिक्त आवंटन के रूप में उपलब्ध कराए जाएँगे । तथापि यह ए एस आई डी ई के अंतर्गत राज्य के कुल आवंटन के अधिकतम दस प्रतिशत तक सीमित होगा ।

ज वर्ष 2003-04 से राज्यों के लिए अपने आवंटन का कम से कम 50% ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन खर्च पर करना अनिवार्य होगा ऐसी परियोजनाओं पर संपूर्ण आवंटन का उपयोग करने वाले राज्यों को राज्य के आवंटन के अधिकतम दस प्रतिशत तक सीमित, अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा ।

अनुबंध - VI

प्रारूप - 1

ए एस आई डी ई

_____को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए

_____सरकार से प्राप्त रिपोर्ट

		राशि लाख में
1.	पिछले वर्ष के अंत में शेष राशि	
2.	वर्ष के लिए आवंटन	
3.	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	
4.	कुल उपलब्ध राशि	
5.	वर्ष में तिमाही तक व्यय की गई राशि	
6.	राज्य /संघशासित क्षेत्र बजट से स्कीमों के लिए अनुपूरक निधियों का आवंटन	

आरूप - II

ए एस आई डी ई

_____को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए

_____सरकार से प्राप्त रिपोर्ट

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदन वर्ष	निजी क्षेत्र के जरिए (हाँ/नहीं)	वित्त पोषण के लिए अनुमोदित लागत (लाख में) ए एस आई डी ई एस जी निजी क्षेत्र			पिछले वित्तीय वर्ष तक व्यय की गई राशि	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान तिमाही तक व्यय की गई राशि

अनुबंध- **VII**

प्रपत्र

प्रपत्र जीएफआर 19-क

{ नियम 150 के नीचे भारत सरकार का निर्णय (1) देखें}

" उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रपत्र"

क्र.सं.	पत्र सं. एवं तारीख	राशि

.....

कुल.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष..... के दौरान मार्जिन में उल्लिखित मंत्रालय/विभाग के पत्र सं0 के तहत ..... के पक्ष में संस्वीकृत सहायता अनुदान के ..... रूपए और पिछले वर्ष के अप्रयुक्त शेष के कारण ..... रूपए का प्रयोग..... प्रयोजन, जिसके लिए उसकी संस्वीकृति प्रदान की गई थी, के लिए किया गया है और कि इस वर्ष के अंत तक ..... रूपए के अप्रयुक्त शेष को सरकार को (द्वारा सं0 ..... तारीख .....) सौंप दिया गया है जिसे अगले वर्ष ..... के दौरान प्रदान किए जाने वाले सहायता अनुदान में समायोजित किया जाएगा ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि मैं संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान संस्वीकृत किया गया था, उन्हें पूरा किया गया/किया जा रहा है और कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जाँच की है कि राशि का उपयोग वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए किया गया था जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया थाः

(की गई जाँच)

हस्ताक्षर.....

पदनाम.....

तिथि.....

अनुबंध- VIII

विषयः- सीआईबी/एएसआईडीई स्कीम के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं का मूल्यांकन ।

1. यह निर्णय लिया गया है कि वाणिज्य विभाग के क्षेत्रीय संगठनों द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एएसआईडीई के तहत परियोजनाओं का दौरा किया जाएः

क. परियोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का मूल्यांकन;
ख. निर्यातों पर परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन;
ग. स्कीम के प्रभावशाली कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को सिफारिशें करना (अर्थात परियोजना का चयन, समीक्षा तंत्र, निधि प्रवाह तंत्र, राज्य सरकार की स्कीम के साथ एकीकरण आदि)
घ. नीति के तीव्रतर एवं प्रभावोत्पादक कार्यान्वयन के लिए परिवर्तन की अपेक्षा करने वाले मुद्दों को अभिज्ञात करना;

2. नामांकन अधिकारी प्रत्येक उस परियोजना का दौरा करेंगे जिन पर पिछले वित्त वर्ष के दौरान स्कीम के तहत निधि का व्यय किया गया है । राज्य सरकार के नोडल विभाग के परामर्श से उनके द्वारा दौरे की तारीख निर्धारित की जाएगी । अन्य विवरणों के साथ ऐसी परियोजनाओं की सूची वाणिज्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी । प्रत्येक परियोजना की निरीक्षण रिपोर्ट परिशिष्ट-। में दिए गए प्ररूप में तैयार की जाएगी ।

3. राज्य की सभी परियोजनाओं के निरीक्षण के बाद राज्य के लिए समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी । रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगेः-

क. उपर्युक्त बिन्दु (क) से (घ) पर बोर्ड की अभ्युक्तियाँ और राज्य में स्कीम के कार्यान्वयन का समग्र मूल्यांकन ।
ख. परिशिष्ट-।। के अनुसार स्कीम के तहत निधि का उपयोग
ग. परिशिष्ट-। से संबंधित प्रत्येक परियोजना की कार्यान्वयन रिपोर्ट (रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में)

4. उक्त रिपोर्ट की एक प्रति ई-मेल द्वारा वाणिज्य विभाग, राज्य सरकार और राज्य की नोडल एजेंसी को भेजी जाएगी । राज्य सरकार उचित निर्णय लेने और यदि अपेक्षित हो तो संबंधित एजेंसियों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आयोजित एसएलईपीसी की बैठक में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

5. अगले दौरे के दौरान, पूर्व के दौरे में निरीक्षण अधिकारी द्वारा की गई अभ्युक्तियों के अनुपालन का भी आकलन किया जाना चाहिए ।

6. प्रत्येक राज्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम परिशिष्ट-।।। में दिए गए हैं ।

परिशिष्ट-I

सीआईबी/एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत संस्तुत परियोजना के मूल्यांकन हेतु प्ररूप

1. राज्य/संघशासित क्षेत्र की एजेंसी का नाम
2. निरीक्षण अधिकारी का नाम
3. यात्रा की तारीख
4. परियोजना का नाम
5. परियोजना के मुख्य घटक
6. वास्तविक प्रगति

क. परियोजना की शुरूआत की तारीख
ख. पूरा करने की अनुसूचित अवधि
ग. वर्तमान स्थिति
घ. पूरा करने का महीना/वर्ष

7. वित्तीय विवरणः

क. परियोजना की लागत

- कुल लागत
- वित्त वर्ष के दौरान जारी कुल निधि
- वित्त वर्ष तक जारी कुल निधि
- वित्त वर्ष तक प्रयुक्त निधि

ख. राज्य का हिस्सा

- कुल राशि
- वित्त वर्ष तक, अब तक जारी निधि
- वित्त वर्ष तक, प्रयुक्त निधि

ग. एएसआईडीई के अंतर्गत हिस्सा

- कुल
- वित्त वर्ष तक जारी निधि
- वित्त वर्ष के दौरान जारी निधि
- वित्त वर्ष तक व्यय
- वित्त वर्ष के दौरान व्यय

घ. निजी क्षेत्र का हिस्सा

- कुल
- वित्त वर्ष तक व्यय

8. परियोजना की वास्तविक प्रगति पर टिप्पणियाँ :-

(इसमें समय-अनुसूची के अनुसार कार्यान्वयन, परियोजना के कार्यान्वयन में अंतर-अभिकरण/विभाग समन्वय, मौके पर निरीक्षण के अनुसार कार्य की गुणवत्ता और वास्तविक प्रगति के संगत कोई अन्य अभ्युक्ति शामिल होनी चाहिए । उसके कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट सुझाव भी दिए जाएँ ।)

9. निर्यात पर प्रभाव (पूरी हो चुकी परियोजना के लिए)

(आकलन में उस क्षेत्र से निर्यातों के संवर्धन में अवसंरचना से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ का उल्लेख होना चाहिए । किसी मात्रात्मक परिणाम का विशिष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ।)

10. नीति संबंधी मुद्दे

(दिशा-निर्देशों के कुछेक उपबंधों के कारण परियोजना के कार्यान्वयन या प्रभाव पर असर डालने वाले मुद्दों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए ।)

परिशिष्ट-II

क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**वित्त वर्ष के दौरान राज्य द्वारा उपयोग किए गए के रूप में दर्शाई गई राशि**	**वित्त वर्ष के दौरान परियोजना के लिए जारी की गई वास्तविक राशि**	**वित्त वर्ष के दौरान परियोजना के लिए वास्तव में उपयोग की गई राशि**

परिशिष्ट-III
प्रत्येक राज्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	दूरभाष (का.)	फैक्स सं.	ई-मेल	राज्य
1.	विकास आयुक्त, कोचीन एसईजेड कक्कानाड, कोचीन (केरल)	0484-42545	0484-422530	e-mail@cscz.com	केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप
2.	विकास आयुक्त, फाल्टा एसईजेड 11, एमएसओ भवन चौथा तल, निजाम पैलेस कोलकाता	033-2472263	033-2477923	fepz@wb.nic.in	पश्चिम बंगाल, सिक्किम
3	विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड दादरी रोड, नोएडा	95-120-4562315	95-120-4562315	dcnepz@nda.vsnl.net.in	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल
4.	विकास आयुक्त, विजाग एसईजेड, प्रशासनिक भवन, दुव्वाड़ा, विजाग	0891-754577	0891-751259	dc@vepz.com	आंध्र प्रदेश
5.	विकास आयुक्त, काण्डला एसईजेड, गांधीधाम, कच्छ, गुजरात	02836-53300	02836-52250	kafta@wilnetonline.net	गुजरात
6.	विकास आयुक्त मद्रास एसईजेड जीएसटी रोड, ताम्बरम, चेन्नई	044-262820	044-2628218	mepz@vsnl.com	तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पांडिचेरी

7.	विकास आयुक्त, सीप्ज एसईजेड अंधेरी (पूर्व), मुम्बई	022-8290856	022-8291385	dcseepz@vsnl.com	महाराष्ट्र
8.	सं0 महानिदेशक विदेश व्यापार 4, एस्प्लेनेड, पूर्व कोलकाता	033-2486426	033-2485892	jdgft@jdgft.wd.nic.in	उड़ीसा, बिहार, झारखण्ड
9.	सं0 महानिदेशक विदेश व्यापार, उद्योग भवन, तीसरा तल, तिलक मार्ग, जयपुर	0141-722276	0141-380601	jdgft@raj.nic.in	राजस्थान
10.	सं0 महानिदेशक विदेश व्यापार, तीसरा तल, 52-ए, अरेनाहिल्स (सरकारी मुद्रणालय के पीछे) भोपाल	0755-553303	0755-553303	Dgftbpl@mp.nic.in	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़
11.	सं0 महानिदेशक विदेश व्यापार, आर.बी. बरूआ रोड, गुवाहाटी, गुवाहाटी	0361-562583		Dgftnet@asm.nic.in	असम, अरूणाचल प्रदेश एवं नागालैण्ड
12.	सं0 महानिदेशक विदेश व्यापार, एससीओ-288, सेक्टर-35-डी, चंडीगढ़	0172-602314	0172-602314	dgft@chd.nic.in	पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़
13.	सं0 महानिदेशक विदेश व्यापार, आशीर्वाद भवन, 18 जून रोड, सान्ता इनोज पंजिम, गोवा	0832-224968	0832-224968		गोवा

14.	सं0 महानिदेशक विदेश व्यापार, 24-सी/सी, गांधीनगर जम्मू	0191-435834	0191-435834	00	जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
15.	सं0 महानिदेशक विदेश व्यापार, मोरोल्लो भवन, शिलाँग	0361-223360	0361-223360	Dgftshil@maghalaya.ren.nic.in	मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व मणिपुर
16.	सं0 महानिदेशक विदेश व्यापार 901-902, ई-ब्लॉक 9वाँ तल, कुबेर भवन, कोठी चार रास्ता, वड़ोदरा	0265-429368	0265-428789		दमन व द्वीव तथा दादरा व नगर हवेली